महिला संसाधन शिक्षा एवं स्वास्थ्य : वैशाली जिले के संदर्भ में एक भौगोलिक अध्ययन

डॉ0 अजय कुमार,
अतिथि शिक्षक भूगोल विभाग जनता कोशी कॉलेज, बिरौल दरभंगा

प्रस्तावना

भारत सरकार ने 73 वे संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अपने 11 वें अनुसूची में परिवर्तन कर लोकतांत्रिक विक्रेन्द्रीकरण को अपनाया है। जिसमें त्रि–स्तरीय पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया था। जिसे बिहार सरकार पंचायतीराज अधिनियम 2006 द्वारा 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ी है। साथ में उपेक्षित ग्रामीण महिलाएँ, खासरकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति अत्यन्त पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम महिलाओं में नयी चेतना आयी है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा में महिलाओं की 50 प्रतिशत आरक्षण से शिक्षा का तस्वीर बदला है।

नारी सशक्तिकरण द्वारा सरकार महिलाओं को पुरूषों के बराबर वैधानिक राजनीतिक मानसिक सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार सौंपकर उसे परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक मुख्यधारा में समान सहभागिनी बनाना चाहती है। भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है और ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना में नारी की भूमिका कुशल गृहिणी की है माँ बच्चो की प्रथम शि ही शिक्षिका होती है। शिक्षित नारी ही परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। नारी, जागृति चेतना से समाज के वंचित तबके के महिलाओं में कार्य कुशलता, रचनात्मक सहयोग की क्षमता बढ़ी है और पुरूष प्रधान समाज के मनोदशा में परिवर्तन हुआ है। जीविका से जुड़कर महिलाएँ स्वयं को सबल बनायी है तथा महिला ब्रिगेड बनाकर शराबबंदी, जुआ पर प्रतिबंध लगा कर परिवार को टूटने से बचायी है। बेटा–बेटी एक समान का विचार नारी सबलता का परिचायक है। जिससे भूण हत्या रूकी है। यौन–शोषण में कमी आयी है और लिंगानुपात में वृद्धि हुई है।

शिक्षित माँ, शिक्षिका बच्चो में उत्तम संस्कार दुलार प्यार से भरती है और उसे योग्य नागरिक बनाती है। बिहार एक पिछड़ा कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ कि कुल आबादी 10,38,04,637 है और साक्षरता 63.82 प्रतिशत है। इसमें पुरूष साक्षरता 73.39 प्रतिशत और स्त्री साक्षरता 53.33 प्रतिशत है। यह राष्ट्र कुल साक्षरता 74.04 प्रतिशत, पुरूष साक्षरता 82.14 प्रतिशत एवं स्त्री साक्षरता 65.46 प्रतिशत से नीचे है।

FiG. 1.1

अध्ययन का उद्देश्य

नारी शिक्षा दो परिवार, वंश, समाज और संस्कृति का वाहक, मिलन बिन्दू है। नारी चेतना, जागृति युग बदलाव का सूचक होती है। इसके शिक्षित होने से घर–संसार यानी सभी का चर्तुभुखी विकास होता है

1 नारी बच्चों की माँ तथा प्रथम शिक्षिका होती है। उसे स्वयं शिक्षित होना स्वास्थ्य होना जरूरी है तभी वह बच्चे को स्वस्थ्य और शिक्षित बना सकती है।
2. नारी कुशल गृहिणी होती है। परिवार की देख–रेख, भोजन का प्रबन्ध, कुपोषण से बचाव के लिए नारी शिक्षा जरूरी है।
3. घर–आँगन और पास–परोस की सफाई, पर्यावरण प्रदूषण का ज्ञान नारी को अधिक होनी चाहिए। तभी संक्रामक बीमारी से हमारी रक्षा होती है। अशिक्षित महिलाएँ ऐसा नहीं कर पाती है।
4. स्वच्छ जल का प्रबन्ध, रख–रखाव की जिम्मेवारी महिलाओं की होती है जो बीमारी से बचाती है।
5. अंधविश्वास, धर्मान्धता, जातियता, छुआ–छुत के विचार से मुक्त होने के लिए नारी शिक्षा जरूरी है।
6. नारी चेतना परिवार में मधनिषेध, दुराचार, अत्याचार, जुआ इत्यादि पर रोक लगाती है और सभ्य समाज के निर्माण में सहायक होती है। दहेजप्रथा, बाल विवाह एवं वे मेल विवाह पर रोक लगाती है।
7. वैचारिक स्तर पर सामंज्य और राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में नारी शिक्षा आधार स्तंम्भ का कार्य करती है।

अध्ययन क्षेत्र

वैशाली जिला राजधानी पटना के निकट मध्यवर्ती गंगा के उत्तरी तट पर स्थित है। यह 25.22 उत्तरी अक्षांश से 25‘51’ उत्तरी अक्षांशा और 85 ‘01’ पूर्वी देशान्तर से 85 ‘43’ पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 2036 वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 अनुसार कुल जनसंख्या 34,95,021 है तथा जनसंख्या घनत्व 1717 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है। यह जिला क्षेत्रफल

के अनुसार राज्य में 15 वाँ जनसंख्या अनुसार 10 वाँ, घनत्व अनुमसार 4 था साक्षरता अनुसार 11 वाँ स्त्री साक्षता अनुसार – 9 वाँ एवं लिंगानुपात अनुसार – 33 वाँ स्थान रखता है। सारणी संख्या–1 द्वारा जिले के शिक्षा–दर, लिंगानुपात और स्त्री कार्यशीलता को दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 1 .वैशाली जिले में शिक्षा–दर, लिंगानुपात और स्त्री कार्यशील जनसंख्या

जनगणना वर्ष	कुल साक्षरता प्रतिशत	पुरूष साक्षरता प्रतिशत	स्त्री साक्षरता प्रतिशत	लिंगानुपात (प्रति हजार)	कुल स्त्री कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत
1961	16.38	64.21	15.79	1016	13.82
1971	20.14	79.11	20.89	1007	6.32
1981	25.56	75.29	24.71	994	5.08
1991	31.96	71.65	28.35	921	7.07
2001	50.49	63.23	36.58	920	10.79
2011	68.56	77.00	59.10	892	19.02
संभावित 2021	86.60	84.40	84.00	900	21.08

स्त्रोत सेन्सस ऑफ इण्डिया बिहार, 1961–2011

इस जिले के नारी विकास सूचकांग के आँकड़ो पर ध्यान देने से पता चलता है कि स्त्रीयों में साक्षरता दर तीव्रगति से बढ़ रही है परंतु लिंगानुपात में कमी, महिलाओं में उच्च शिक्षा का अभाव, कुपोषण, गरीबी, जीवन प्रत्याशा में कमी और भ्रूण हत्या को दर्शाता हैं स्त्री कार्यशीलता में कमी उसके गृहिणी जीवन को चिन्हित करता है जो अब धीरे–धीरे रोजगारोन्मुख हो रही है।

शिक्षा और स्वास्थय एक–दूसरे के पूरक हैं। इस जिले में नारी उच्च शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य सेवा के प्रबन्ध का अभाव है। इसके मूल में गरीबी और महिला बेरोजगारी छुपी है जो महिलाओं को कुपोषण का शिकार बनायी है। जिससे उसकी जीवन–प्रत्याशा की आयु पुरूषो की तुलना में कम है। इस जिले का सामाजिक परिवेश पिछड़ा है ओर आर्थिक संरचना, उन्नत जीवन शैली, उर्जा, निर्माण संचार एवं यातायात के साधन सीमित है। स्थानीय स्तर पर शिक्षा के गुणवता का अभाव है। उच्च शिक्षा अज्ञानता मिटाता है, बुद्धि को बढ़ाता है और वुद्धि स्वस्थ्य जीवन की कला सिखाता है तथा स्वस्थ्य व्यक्ति ही अपने कार्य द्वारा समग्र विकास को आगे बढ़ा सकता है।

इस जिले में कुल साक्षरता दर में वृद्धि के साथ–साथ स्त्री पुरूष शिक्षा अनुपात में कमी आयी है। स्त्रीयों के सामाजिक जीवन में बेटी की तुलना में बेटे का महत्व अधिक है। अतः यहाँ लिंगानुपात वृद्धि हेतु 'बालिका बचाओ' कार्यक्रम ग्राम स्तर पर चलाना चाहिए।

सरकारी प्रयास

इस जिले में भी अन्य जिलों की तरह प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रम को अपनाया गया है। Education and Health for all के लिए सरकारी योजना है, महिला शिक्षा पर जोर है। परंतु उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी काफी कम है। सरकार ने मिड–डे मिल योजना, बालिका छात्रवृति योजना, बालिका पोशाक राशि योजना, बालिका साइकिल योजना, हुनर कार्यक्रम, आँचल योजना जीविका योजना कन्या विवाह योजना इत्यादि शुरू की है जिससे महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार और साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। सरकारी प्रयास जारी रहा तो 2021 तक

स्त्री साक्षरता पुरूष के समतुल्य हो जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए 50 हजार की राशि ग्रेजुएसन एवं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए सरकार द्वारा महिलाओं को दी जाएगी।

सुझाव

1. ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियाँ दूरी और भय के कारण विद्यालय नहीं जतीी है :–
2. ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियो के लिए माध्यमिक स्तर से ऊपर की शिक्षा के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि टेलीविजन, मोबाईल मीडिया ने हमारी संस्कृति को पथभ्रस्त कर दिया है। इस कारण सह शिक्षा धीरे–धीरे समाप्त होनी चाहिए।
3. पंचायत स्तर पर बालिका उच्च विद्यालय 10+2 विद्यालय और प्रखण्ड स्तर पर महिला महाविद्यालय होनी चाहिए।
4. प्रखण्ड स्तर पर महिला थाना हो, जहाँ महिला अपनी श्किायत निधरोक कह सके। महिला हेल्पलाइन पर कॉल मिलते ही द्रूत वाहन पुलिस सहित स्थल पर शीघ्र पहुंचे। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।
5. विद्यालय में बालिकाओं को आत्म सुरक्षार्थ जूरो और कर्राटे का प्रशिक्षण मिलनी चाहिए।
6. ग्राम स्तर पर महिला प्रतिनिधि घर–घर जाकर बालिका शिक्षा के लाभ, सरकारी सहयोग को बताएँ और लड़कियों का पूर्ण नामांकन अनिवार्य रूप से विद्यालय में कराएँ। उसे 18 वर्ष तक वैवाहिक जीवन के सामाजिक बन्धन से मुक्त रखें। तभी सही अर्थो में नारी सशक्तिकरण की मौलिक अवधारणा पूर्ण हो सकती है।

निष्कर्ष

वर्तताान सरकार की सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था, समरसतापूर्ण महौल ने नारी उत्पीड़न, कुपोषण, हत्या, बलात्कार पर अंकुश लगाया है एवं नारी हितकारी योजना चलाकर नारी शिक्षा में 22.52 प्रतिशत की दर्शकीय वृद्धि (2001–11) जिला स्तर पर दर्ज की है। यह रफ्तार जारी रहा तो वर्ष 2021 तक जिले की नारी साक्षरता पुरूष के बरावर हो जाएगी। परंतु लिंगानुपात में वृद्धि के लिए सामाजिक और सरकारी प्रयास लगातार जारी रखना होगा।

शोध सन्दर्भ

1. Cencus of India, Bihar Series-II-1961-2011
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 और 2001–11
3. संविधान संशोधन अधिनियम 1992–2006.
4. District Census Handbook 1961-2011
5. Sinha V.N.P.,, Nazim, M.S. Firoz A (2013) Bihar Land People and Economy, Rajesh Publication, New Delhi